

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, आगरा।

पत्रांक संख्या 16 /पि०व०क०/छात्रावास/2020-21

दिनांक १८/०६/२०२०

- कुल सचिव, डा० बी०आर० अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा/डिम्ड यूनिवर्सिटी, दयालबाग आगरा।
- निदेशक/प्रबन्धक/प्राचार्य

सम्बन्धित इंजीनियरिंग(बी०टेक/एम०टेक)/फार्मसी/मेडीकल/एम०बी०ए०/बी०बी०ए०, महाविद्यालय आगरा।

विषय:— शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण तक की निर्गत समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं० 209/पि०व०क०/2020-21 दिनांक 16 जून, 2020 के द्वारा प्राप्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समय सारिणी संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया समय सारिणी के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—उक्तानुसार।

भवदीय

(शिखी यादव)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
आगरा

पृष्ठांकन सं० एवं तद्दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
 - जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी महोदय आगरा।
 - क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को इस अनुरोध से प्रेषित की कृपया अपने स्तर से समस्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी महोदय आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
आगरा

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
आगरा।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा।

पत्रांक १६ /पि०व०क०/२०२०-२१

दिनांक १४/०६/२०२०

विषय:- शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण तक की निर्गत समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं० 208 /पि०व०क०/२०२०-२१ दिनांक 16 जून, 2020 के द्वारा प्राप्त पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय सारिणी संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित की जा रही है कि आप द्वारा संस्थाओं को अपनी तरफ से अवगत कराने का कष्ट करें। जिससे समय सारिणी के अनुरूप संस्थायें नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उक्तानुसार।

भवदीय

(शिखी यादव)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
आगरा

पृष्ठांकन सं० एवं तददिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी महोदय आगरा।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
आगरा

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 208 /पि०व०क०/2020-21,

लखनऊ :

दिनांक 16 जून, 2020

विषय—

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण तक की निर्गत समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-83/2020/1333/26-3-2020-4(215)/90टी.सी.॥। दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु विस्तृत समय-सारिणी जारी की गयी है।

अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत समय-सारिणी की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का निर्धारित समयान्तर्गत क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीया,

S
16.6.2020

(डा० वन्दना वर्मा)

निदेशक।

V

प०सं०/ 208 /पि०व०क०/2020-21/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अपर प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
- 2— निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ०प्र० को समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 3— निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
- 7— समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निर्गत समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने मण्डल के सम्बन्धित जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

S
16.6.2020

(डा० वन्दना वर्मा)

निदेशक।

V

k

संख्या- ८३ / २०२० / १३३३ / २६-३-२०२०-४(२१५) / ९० टी.सी. |||

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1— निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
 2— निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनभाग-३

ਲਖਨਊ : ਦਿਨਾਂਕ ੧੫ ਜੂਨ 2020

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-176 / स०क्र० /
शिक्षा-अ / ७ / २८ / २०२०-२१, दिनांक-०४.०६.२०२० का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र- २०२०-२१ में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा
९-१० कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने
एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का
प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का संरक्षण द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020-21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी का निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

पूर्वदेशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन एवं

लाक करने तथा छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्रस्तावित समय—सारिणी 2020-21		
क्रमांक	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की निर्धारित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
मास्टर डाटा के सम्बन्ध में		
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	06 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक
2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों में स्थीकृत सीटों की संख्या की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत 100% सत्यापित करना।	31 जुलाई 2020 से 28 अगस्त 2020 तक।
आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में		
3	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन की विवरणों का अनुसार विद्यालय के नाम और संख्या को दर्शाना चाहिए।)	24 जुलाई से 20 अगस्त

	छात्र-छात्राओं हेतु 24 जुलाई से 12 अक्टूबर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	2020 तक
4	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइल ड्राइव आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 26 अगस्त 2020 तक।
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट:-25 जुलाई से 31 अगस्त 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्रों को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	25 जुलाई से तक 31 अगस्त 2020 तक।
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	01 सितम्बर से 17 नवम्बर 2020 तक
8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9–10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	07 सितम्बर 2020 तक
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	01 सितम्बर से 10 सितम्बर 2020 तक
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	11 सितम्बर से 25 सितम्बर 2020 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण(Renewal)के सही छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सूजित कराना।	28 सितम्बर 2020 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	30 सितम्बर 2020 तक
13	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/ कार्यक्रम आयोजित करना।	02 अक्टूबर 2020 तक
कक्षा 9–10 के अवशेष नवीन (Fresh) तथा नवीनीकरण(Renewal)के छात्र-छात्राओं हेतु।		
14	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	24 जुलाई से 12 अक्टूबर 2020 तक
15	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइल ड्राइव आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
16	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 19 अक्टूबर 2020 तक
17	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित	25 जुलाई से 28 अक्टूबर 2020 तक

	एवं अग्रसारित करना।	
18	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	05 नवम्बर 2020 तक
19	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	29 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2020 तक
20	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागि पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	13 नवम्बर से 25 नवम्बर 2020 तक
21	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 28 नवम्बर 2020 तक।
22	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	13 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक
23	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	04 दिसम्बर से 10 दिसम्बर 2020 तक
24	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	28 दिसम्बर 2020 तक।
25	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से मौंग सुजित करना।	30 दिसम्बर 2020 तक
26	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	05 जनवरी 2021 तक

नोट:-

- 1— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकती तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 05 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 26 जुलाई 2020 से 08 अक्टूबर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।
- 2— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
- 4— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


 (राजेन्द्र कुमार तिवारी)
 मुख्य सचिव

पुस्तक-83 / 2020 / 1333 (1) / 26-3-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मार्शिका/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मैं

(मनोज सिंह)

प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 209 /पि०व०क०/2020-21,

लखनऊ :

दिनांक 16 जून, 2020

विषय-

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण तक की निर्गत समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/07टी.सी.॥। दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु विस्तृत समय-सारिणी जारी की गयी है।

अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा निर्गत समय-सारिणी की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का निर्धारित समयान्तर्गत क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीया,

Sik

(डा० वन्दना वर्मा)

निदेशक।

प०सं०/ 209 /पि०व०क०/2020-21/तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अपर प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
- 2— निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ०प्र० को समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 3— निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
- 7— समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निर्गत समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने मण्डल के सम्बन्धित जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(डा० वन्दना वर्मा)

निदेशक।

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1— निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2— निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक १५ जून 2020

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-177/स०क०/शिक्षा-अ/07/28/2020-21, दिनांक-04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में(केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त)संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020-21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :—

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक

	हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	
1ए	<p>प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।</p> <p>(नोट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)</p>	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक
1बी	<p>योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।</p>	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)
2.	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक

आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु

4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट:-02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक

12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सूजित कराना।	30 सितम्बर 2020 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2020 तक
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2020 को
कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक
16	छात्र/छात्र द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक
18	छात्र/छात्र द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्र के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 नवम्बर 2020 तक
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागि पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाईन सबमिट किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक

23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12दिसम्बर 2020 से 28दिसम्बर 2020 तक
25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	29 दिसम्बर 2020 से 06जनवरी 2021 तक
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के डिजिटल सिङ्गेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिङ्गेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से मॉग सूजित करना।	23 जनवरी 2021 तक
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिङ्गेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2021 तक
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2021 को

नोट:-

- 1— उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/ प्रोन्ट होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2— छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित करना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

- 4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अप्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
- 5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेंगे।
- 6— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पृष्ठा—४५ / 2020 / 1332(1) / 26-3-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मार्शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8— निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

कार्यालय—जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा।

पत्रांक

C102

/स0क0/दशमो0/छात्रवृत्ति/2020-21 दिनांक

18/6/2020

1- कुल सचिव, डा० बी०आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय /डीम्ड विश्वविद्यालय, दयालवाग आगरा।

2- प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य/निदेशक

समस्त महाविद्यालय कालेज/टैक्नीकल कालेज/मैडिकल/आई०टी०आई०/बी०टी०सी०/बी०एड०, इत्यादि आगरा।

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 84/2020/1332/ 26-3-2020-4(358)/07 टी०सी० III समाज कल्याण अनुभाग-3 दिनांक लखनऊ 15 जून 2020 तथा निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या सी-334/स०क०/शिक्षा-अ/ 7/28/2020-21 लखनऊ दिनांक जून 17, 2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की समय-सारणी उपलब्ध करायी गयी है जिसे संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय

(परितोष कुमार श्रीवास्तव)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

आगरा।

पृष्ठाकन संख्या व तद दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. मुख्य विकास अधिकारी आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल आगरा/संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण/शिशु) आगरा मण्डल आगरा को इस आशय के साथ कि आप भी अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
5. उप निदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल आगरा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी

आगरा।


प्रेषक,

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।
सेवा में,

कुल सचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ।

पत्रांक C-329 / स0क0 / शिक्षा-अ / 7/27/2019-20

कृपा नीति
२. ३१७२८९ नीति १५
मा) (B)



लखनऊ : दिनांक: १६ जून, 2020

विषय: बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश स्तर पर बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन आपके विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। बी०एड० प्रवेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 यथा संशोधन-2016 (सप्तम संशोधन) 2018 दिनांक 26 जून 2018 के नियम-12(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।

क- राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी किन्तु निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्य व्यवस्था वाध्यकारी नहीं होगी। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अनुमन्य नहीं होगी।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 यथा संशोधन-2016 (नवम संशोधन) 2019 दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के नियम-6(XXii) के अनुसार निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेंट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

उक्त से यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र के संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य नहीं है तथा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम प्रवेश योग्यता स्नातक होने की दशा में न्यूनतम 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने

वाले किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेंट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

उक्त दोनों शासनादेश संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदान की जा सके।

संलग्नकः—यथोक्त ।

भवदीय

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक,

पष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग—३
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

निदेशक
काल्पनिक - निम्न सभार्थी कल्पना विभाग 31/1/19
प्रांग. N. 109 / एस १९२०-२१ / दिनांक १८६२२०
कुर्हनिंदा : वी. एस. निवासन निवासन निवासन
संविधान पुस्तक -



प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1— निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०० लखनऊ।
- 2— निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र०० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग—३

लखनऊ : दिनांक १५ जून 2020

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र—2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय—सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक—177/स०क०/शिक्षा—अ/07/28/2020-21, दिनांक—04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र—2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय—सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

UD(T)
Bulletin
15/6

2— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में(केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त)संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020-21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

Asstt. Dir.
Nic नो भेजें।
जगपदा।/प्र०
कै भै ज।
15/6/2020
ए०पा।

3— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाये भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक

	<p>पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।</p>	
1ए	<p>प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)</p>	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक
1बी	<p>योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।</p>	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)
2	<p>प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।</p>	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक
2ए	<p>योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।</p>	21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक
3	<p>जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।</p>	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक

**दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12
के छात्रों हेतु**

4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहगा।)	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इंटरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट:-02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को मुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वार्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	30 सितम्बर 2020 तक

	सिर्वेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सूजित करना।	
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिर्वेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषगार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2020 तक
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना।	02 अक्टूबर 2020 को
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 नवम्बर 2020 तक
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिर्वेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाईन सबमिट किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक
23	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक

24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 दिसम्बर 2020 से 28 दिसम्बर 2020 तक
25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	29 दिसम्बर 2020 से 06 जनवरी 2021 तक
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित करना।	23 जनवरी 2021 तक
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2021 तक
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020 को

नोट:-

- 1— उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2— छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में सन्देहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित करना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।
- 4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेंगे।
- 6- उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।


अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


 राजेन्द्र कुमार तिवारी
 मुख्य सचिव

पृष्ठ- 84 / 2020 / 1332(1) / 26-3-2020 तारीखः-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
 - 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मार्गशिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
 - 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
 - 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
 - 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
 - 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


 मनोज सिंह
 प्रमुख सचिव।

१८

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-C-३३४/स०क०/शिक्षा-अ/7/28/2020-21

लखनऊ, दिनांक: १७ जून, 2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, जनजाति विकास, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त कुलसंघिव, केन्द्रीय / राज्य / तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

Balkar

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक